

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन,
सतपुड़ा भवन, भोपाल-462003

क्रमांक Q-1/आउशि/2020

भोपाल, दिनांक 22/03/2020

प्रति,

1. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक,
उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश
2. प्राचार्य,
समस्त शासकीय/अशा./अनु. प्राप्त अशास. महाविद्यालय मध्यप्रदेश

विषय- नोवेल कोरोना वायरस (Covid-19) की रोकथाम के लिए आवश्यक निरोधक उपाय बावत्।
संदर्भ- सा.प्रा.वि. के पत्र क्रमांक 38 (बी)/ए.सी.एस./जी.ए.डी. 2020, भोपाल, दिनांक 22/3/20.

—0—

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के तारतम्य में नोवेल कोरोना वायरस (Covid-19) से जनित बीमारी के संक्रमण से बचाव हेतु लोकहित एवं लोक स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक कार्यालय के अधिकारी और कर्मचारी तथा समस्त शासकीय/अशा./अनु. प्राप्त अशास. महाविद्यालय के प्राचार्य एवं तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी अस्थाई रूप से दिनांक 23/3/2020 से 31/3/2020 तक अपना कार्यालयीन कार्य अपने निवास स्थान से सम्पादित करेंगे।

समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा और समस्त शासकीय/अशा./अनु. प्राप्त अशास. महाविद्यालय के प्राचार्य सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी संदर्भित पत्र के बिन्दु क्र. 02, 03, 04 एवं 05 में दिये गये निर्देशों का पालन सुनिश्चित करायेंगे।

संलग्न- संदर्भित पत्र की छायाप्रति।

(मुकेश कुमार शुक्ल)

आयुक्त

उच्च शिक्षा संचालनालय

म.प्र. भोपाल

पृ. क्रमांक Q-2/आउशि/2020

भोपाल, दिनांक 22/03/20

प्रतिलिपि-

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा मंत्रालय, भोपाल, म.प्र.।

आयुक्त

उच्च शिक्षा संचालनालय

म.प्र. भोपाल

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
गंत्रालय, बल्लम मयन, मोपाल

क्रमांक /388/ए.सी.एन./जी.ए.डी./2020
पति

मोपाल दिनांक 22.03.2020

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
शासन के समस्त विभाग, गंत्रालय, मोपाल।
2. समस्त विभाग प्रमुख
3. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश
4. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश

विषय : नोवेल कोरोना वाइरस (COVID-19) की रोकथाम के लिए आवश्यक निरोधक उपाय बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत नोवेल कोरोना वाइरस (COVID-19) से जनित बीमारी के संक्रमण से बचाव हेतु लोक हित एवं लोक स्वास्थ्य के दृष्टिगत विभागीय समसंख्यक आदेश क्रमांक 38 दिनांक 19 मार्च 2020 को अधिलिखित करते हुए प्रदेश के शासकीय कार्यालयों एवं शासकीय संस्थाओं में कार्यरत अनलें को निवास्त से कार्य करने की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्वन्ध में निम्नानुसार नवीन दिशा-निर्देश प्रसारित किये जाते हैं -

1. मध्यप्रदेश गंत्रालय एवं शासन के समस्त शासकीय कार्यालयों एवं शासकीय संस्थाओं में कार्यरत अनलें को अस्थाई रूप से दिनांक 31.03.2020 तक अपना कार्यालयीन कार्य अपने निवास्त स्थान से सन्वाहित करने की अनुमति प्रदान की जाए।
2. दिनांक 23 मार्च 2020 से दिनांक 31.03.2020 तक की उक्त अवधि को समस्त प्रयोजनों के लिए कर्तव्य अवधि माना जाएगा।
3. यह आदेश उन अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा अथवा उस सीमा तक लागू नहीं होगा जो इस अवधि में अथवा इसके किसी अंशभाग के लिए किसी भी स्वरूप के पूर्व से अवकाश पर हैं।
4. उक्त अवधि का उपयोग अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा कार्यालयीन कार्य निवास से सन्वाहित करने के लिए किया जाएगा।
5. किसी भी तात्कालिक आवश्यकता की स्थिति में अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके निवास्त से कार्यालय में शासकीय कार्य के लिए आहूत किया जा सकेगा। इस हेतु शासकीय सेवाओं के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे अपना मोबाइल नंबर, लैंडलाइन नंबर एवं निवास का पता कार्यालय में तथा कार्यालय/संस्था प्रमुख को तत्काल प्रदान करेंगे।
6. यह आदेश, प्रदेश की किसी भी अत्यावश्यक सेवाएं जैसे - स्वास्थ्य, पुलिस, पेयजल व्यवस्था, विद्युत आपूर्ति, साफ सफाई से जुड़ा अनला, अग्निशमन सेवाएं, दूरसंचार सेवाएं इत्यादि पर लागू नहीं होगा।

7. यह आदेश किसी विभाग एवं इसके अधीनस्थ शाराकीय कार्यालय/संस्थान के उन अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर भी लागू नहीं होगा, जिनके विभाग में सहाय प्राधिकारी को इस बात का समाधान हो गया है कि किसी संवैधानिक/विधिक अनिवार्यता, कोरोना के संक्रमण से बचाव संबंधी विभागीय कार्य अथवा अन्य किसी विशिष्ट आपदाधिक कार्य के लिए उक्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों का कर्तव्य स्थल पर उपस्थित रहकर कार्य करना अत्यावश्यक है। ऐसे कर्तव्यस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए कोरोना के संक्रमण से बचाव हेतु सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य समस्त आवश्यक सावधानियां रखी जाना सुनिश्चित किया जाये।
8. समस्त विभाग इस सम्वन्ध में समस्त अधीनस्थ शाराकीय कार्यालयों/शाराकीय संस्थाओं के लिए अपने स्तर से अनुवर्ती दिशा-निर्देश तत्काल जारी करेंगे।
9. समस्त जिला कलेक्टर इस सम्वन्ध में अपने जिले में कोरोना वाइरस संक्रमण की स्थानीय परिस्थितियों का आंकलन कर तदनुसार लोक स्वास्थ्य एवं लोकहित में समुचित निर्णय ले सकेंगे।
10. यह आदेश दिनांक 31.03.2020 तक लागू रहेगा। उक्त तिथि के बाद तत्समय की परिस्थितियों के आधार पर पुनः परीक्षण कर आगामी निर्णय लिया जाएगा।

22/03/2020

(के.के. सिंह)

अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक / 385/AD / ए.सी.एस. / जी.ए.डी. / 2020
GAD

गोपाल दिनांक 22.03.2020

1. राज्यपाल के सचिव, राजगवन, गोपाल।
2. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल / ग्राह्यगिक शिक्षा मंडल म.प्र. गोपाल।
3. प्रमुख सचिव, / सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, गोपाल।
4. अपर मुख्य सचिव (समन्वय) मुख्य सचिव कार्यालय, गोपाल।
5. प्रमुख सचिव / सचिव / उपा सचिव, सा.प्र.वि. गोपाल।
6. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय म.प्र. गोपाल।
7. अपर सचिव, सा.प्र.वि. 7(1) की ओर वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

22/03/2020

अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग